न्यायालय नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

राजस्थान सरकार
जरिये पटवार हल्का

बहक श्री किस्तुरराम
पुत्र श्री उगमाराम
जाति जाट नि. ललाणाखुर्द

मुकदमा नं. 09 / 2017

राज. भू. राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 91

निर्णय दिनांक 23/08/2017

प्रकरण का संक्षिप्त में सार निम्नवत है कि ग्राम ललाणाखुर्द खसरा नम्बर 123 रकबा 0.0200 हैक्टर किस्म गै.मु.गौचर (राजकीय भूमि) पर संवत 2074 फसल खरीफ में श्री किस्तुरराम पुत्र श्री उगमाराम जाति जाट निवासी ललाणाखुर्द (जिसे आगे अप्रार्थी कहा गया है) द्वारा चाराडालकर बाड़कर कर अतिक्रमण किये जाने पर पटवारी हल्का अर्न्तगत अप्रार्थी के विरूद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु रिपोर्ट प्रस्तावित की।

पटवारी हलका द्वारा प्रस्तुत द्वारा प्रस्तुत अप्रार्थी के विरूद्ध प्रस्तावित रिपोर्ट के आधार पर प्रकरण दर्ज किया जाकर अप्रार्थी को राज. भू–राजस्व अधिनियम की धारा 91 के अर्न्तगत नोटिश जारी कर तलब किया गया। तलबी पर अप्रार्थी उपस्थित। अप्रार्थी की ओर से लिखित में जबाब पेश किया गया। जबाब सामिल पत्रावली किया गया।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पटवारी हल्का द्वारा ग्राम ललाणाखुर्द ख.न. 123 रकबा 0.0200 है. किस्म गै.मु.गौचर पर संवत 2074 फसल खरीफ में बिना विधिक अधिकार के अनाधिकृत नाजायज रूप से राजकीय भूमि पर चाराडालकर बाड़कर कर अतिक्रमण किये जाने पर अप्रार्थी को अतिक्रमी घोषित किया जाता है।

अतः प्रकरण में आदेश दिये जाते है कि :–

(1) अतिकमी को आरजी राज से बेदखल किया जाकर कब्ज बहक सरकार लिया जावे।

(2) लगान दर रूपया 5/- प्रति है. का 50 गुणा रूपया 1.00 रु. (रूपये एक रुपया) शास्ति कायम की जाती है।

निर्णय की क्रियान्विती हेतु पटवारी हल्का चितांई भु. अभिलेख निरीक्षक बागोट एवं तहसील राजस्व लेखाकार को पालनार्थ आदेश जारी किये जाये।

पत्रावली निर्णित शुमार होकर बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 23/08/2017 का सरे इजलास सुनाया।

नायब तहसीलदार भकरी मौलास (नागौर)

नायब तहसीलदार भकरी मौलास
जिला-नागौर (राज.)